2|8|2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई अप्रार्थी की ओर से थानाधिकारी तखतगढ़ के प्रतिनिधि H.C. गमनाराम (1277) उपस्थित प्रार्थी किशोर कुमार पुत्र भैराराम जाति माली निवासी मानपुर तहसील आबुरोड़ जिला सिरोही की ओर से उनके अधिवक्ता के एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, के तहत पेश किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने इस प्रकरण में जब्तासुदा 2010 लीटर डीजल को सूपूर्दगीनामा पर रिलीज कराने हेतु प्रस्तुत किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि उपर्युक्त उनवान में पुलिस थाना तखतगढ़ द्वारा प्रार्थी किशोर कुमार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, में मुकदमा दर्ज कर प्रार्थी के मालकी के उसके खरीदसुदा 2010 लीटर डीजल को कब्जे में लिया गया, तथा प्रकरण की जांच थानाधिकारी तखतगढ़ द्वारा शुरु की गई जिसे प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में चुनौती दी गई एव माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा राज्य सरकार के विनियमों के तहत भी 2500 लीटर तक डीजल अनुज्ञेय मानकर प्रार्थी के विरुद्ध उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट ही अपास्त की हैं।

प्रार्थी के स्वामित्व के उसके खरीदशुदा डीजल जो कि प्रार्थी की रजिस्टर्ड कम्पनी WIN BIO DIESEL के लिये प्रार्थी द्वारा क्रय किया गया था, जो कि प्रार्थी की पंजीबद्ध कम्पनी के लिये जरिये बिल के खरीद किया था, एव जो प्रार्थी की कम्पनी के लिये उपयोग में लिया जाना था, न कि बेचान के लिये। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रति एक–दो किलोमीटर पर पेट्रोल पम्प एवं डीजल पम्प स्थित हैं, जिससे किसी पेट्रोल पम्प अथवा डीजल पम्प से डीजल अथवा पेट्रोल खरीद कर उसे आगे बेचान करने के कथन पूर्णतः बेमाने एवं हास्यास्प्रद हैं, किसी भी व्यक्ति द्वारा वर्तमान दौर में डीजल बेचने की बात माने जाने योग्य नही हैं, तथा प्रार्थी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करता हैं, न कभी प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया गया हैं।

प्रार्थी का उपर्युक्त जब्तासुदा सामान वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा में हैं। प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एफ.आई.आर. को Quash किया जाकर 2010 लीटर डीजल अनुज्ञेय होने से कोई अपराध कारित नहीं होना माना हैं, एवं उक्त मात्रा अनुज्ञेय मानी हैं। उक्त कारणों से उपर्युक्त सामान के पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं हैं, एवं प्रार्थी को नियमानुसार दिया जाना अतिआवश्यक हैं व साथ ही पुलिस अभिरक्षा में सामान के रखने हेतु पर्याप्त जगह नहीं होने से ड्रम फूटने, एवं सामान के बर्बाद होने व खराब होने की पूर्ण संभावना हैं। उक्त डीजल के थाना हल्का, में अनवरत पड़े रहने पर उसकी

श्यानता में बदलाव होने, पूर्णतः खराब व धीरे–धीरे वाष्पीकरण से कम होने, एवं उपयोगहीन होने की पूर्ण संभावना हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थी के मालकी के उसके खरीदशुदा सामान जिसमें 2010 लीटर डीजल को सुपुर्दगीनामा पर रिलीज कराने का आदेश प्रदान फरमावें।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा पुलिस थाना तखतगढ द्वारा सी.आर. न. 134/2021 जब्तसुदा सामान 2010 लीटर डीजल के संबंध में माननीय उच्च राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के S.B. Criminal Mic (Pet.) No. 6232/2022 निर्णय दिनांक 17.04.2023 में प्रार्थी के पक्ष में F.I.R. को Quash किया गया है जिसकी प्रति अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। S.B. Criminal Mic (Pet.) No. 6232/2022 निर्णय दिनांक 17.04.2023 अनुसार "Accordingly, the misc. Petition is allowed. The impugned FIR No. 134/2021 registered at Police Station Takhatgarh, District Pali for the offence under section 3/7 of the Essential Commodities Act and all Subsequent proceedings sought to be taken thereunder against the petitioners, are quashed. Consequent to quashing of the FIR, the petitioners shall be free to move appropriate application before the competent authority/ court for release of the vehicle. "

अतः प्रार्थी के पक्ष में FIR No. 134/2021 को Quash किये जाने से प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा जब्तशुदा सामान 2010 लीटर डीजल को प्रार्थी को सुपूर्द कर दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। थानाधिकारी तखतगढ को पालनार्थ तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय सुनाया गया।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली, जिला-पाली